IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards

SQMS

संख्या 1201 /नि0प्रा0–5/2015–16/वा0नि0–1–मेरठ   दिनांक 10-5-2016

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

डायरेक्टर,
मैसर्स वी0डी0वी0 इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0
द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, गढ़ रोड, अपोजिट वैशाली कालोनी,
मेरठ।

विषय :– खसरा संख्या–242, ग्राम सराय काजी, जागृति विहार यो0सं0–11 (विस्तार) हेतु मेरठ ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में 15 मी0 से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग भवनों के मानचित्रों पर स्वीकृति हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15–01–2016 को सम्पन्न हुई जिसमें आपके प्रकरण पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक के यथा अनुमोदित कार्यवृत्त दिनांक 10–03–2016 के अनुसार आपके मानचित्र को समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में समिति के निर्णयानुसार एतदद्वारा निम्नांकित शर्तो के अधीन निर्माण की अनुमति निर्गत की जाती है :–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष होगी। दिनांक 10-5-16 से 9-5-2021 तक
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयवृद्धि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
6. रजिस्ट्री के समय मानचित्र में प्रस्तावित किसी भी फ्लैट का सब–डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा तथा वर्तमान मानचित्र में कुल **98 नग** फ्लैट का निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है।
7. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल **14600.07 वर्गमी0** (जिसमें नान–एफ0ए0आर0 क्षेत्र भी सम्मिलित है) के लिये **4047.04 व0मी0** भूखण्ड पर प्रदान की गयी है, स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. यह स्वीकृति **डबल बेसमेन्ट, स्टिल्ट+10 तलों एवं ममटी (2बी+एस+10तल एव ममटी)** हेतु प्रदान की गयी है।
9. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा क्रेतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेगें जिससे बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
10. विजिटर्स पार्किंग का प्राविधान भूखण्ड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखण्ड परिसर के अन्दर ही करना होगा।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा जिससे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम पता अंकित होना अनिवार्य है।
12. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
13. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि ग्रुप हाउसिंग भवनों में हो रहे कियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को राकेने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड पर 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

Scanned by CamScanner

17. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी / 2001 / (आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751 / 9–आ0–भूकम्परोधी / 2001 / (आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
18. उप निदेशक, फायर सर्विसेज, मेरठ परिक्षेत्र ने अपने पत्र संख्या–भ0–18 / डी0डी0 / फा0स0 / मेरठ–15 / मेरठ / 1211 दिनॉक 17–12–2015 के द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी / उपनिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज, मेरठ से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
19. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
20. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन / सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
21. आवास आयुक्त (म0) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15–01–2016 में लिये गये निर्णयान्तर्गत विद्युत, जल एवं सीवरेज सम्बन्धी आवश्यकताओं यथा ट्रान्सफार्मर / ओवर हेड टैंक / एस0टी0पी0 आदि की व्यवस्था / प्राविधान आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
22. आवंटी द्वारा क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की किश्तों के सापेक्ष सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, मेरठ द्वारा पत्रांक 1771 दिनांक 06–5–2016 के माध्यम से निर्गत बन्धक पत्र में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना होगा।

सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट–(13 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन का एक सेट –(02 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सेट –(120 नग पृष्ठ)
4. उप निदेशक, फायर सर्विसेज मेरठ से अनुमोदित मानचित्र / एन0ओ0सी0 की प्रति। –(13 नग शीट्स)

10/5/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी
दिनांकः 10/5/2016.

पृ0सं0:– 1201 / उक्त /

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को उपरोक्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रारूप–ब के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, मेरठ को उपरोक्त शर्त सं0–22 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से कि आवंटी द्वारा क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की किश्तों का भुगतान किये जाने के संदर्भ में बन्धक पत्र सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी / उप निदेशक फायर सर्विसेज मेरठ परिक्षेत्र ~~मेरठ~~ को प्रपत्र 'च' तथा अग्निशमन सम्बन्धी मानचित्रों के एक सेट सहित।

10/5/16

वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम

नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अर्न्तगत

स्वीकृति–पत्र

संख्याः /नि0प्रा0–17/2013–2014/वा0नि0–1 दिनांकः 2015

सेवा में,

श्री मनोज कुमार यादव द्वारा
जीवेश अरोड़ा S/0 देवेन्द्र कुमार अरोड़ा
मुख्तार–ए–आम,
1776/2 खण्ड–2, बेरीबाग,
सहारनपुर–247001

विषयः प्रीमियम हाउस भूखण्ड सं0 3ए/147 शाकुम्भरी विहार (योजना सं0–8 मवीकला) सहारनपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रीमियम हाउस भूखण्ड सं0 3ए/147 शाकुम्भरी विहार (योजना सं0–8 मवीकलां), सहारनपुर में निर्माण करने संबंधी आवेदन के कम में प्राप्त मानचित्रों/प्रपत्रों के परीक्षणोपरान्त एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती हैः

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पांच वर्ष की होगी, दिनांक 24/7/15 से 23/7/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र में लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–32 उ0प्र0 आवास विकास परिषद, सहारनपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व संबंधित सम्पत्ति प्रबंधक अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति 443.18 व0मी निर्माण क्षेत्रफल के लिये 300 व0मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति नियमानुसार भूतल पर व्यवसायिक तथा प्रथम तल,द्वितीय तल पर आवासीय उपयोगार्थ तथा ममटी के निर्माण हेतु प्रदान की गयी है।
8. भूखंड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखंड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडो का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखंड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि प्रश्नगत भवन में हो रहे कियाकलाप से क्षेत्र के निवासियो को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को रोकने/हटाने हेत परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

11. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण व रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।

12. समय समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होंगे।

13. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

14. कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र की सत्यापित प्रति निरीक्षण हेतु अवश्य रखी जाय तथा परिषद के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाये।

15. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

16. भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लेकर भूतल पर ही व्यवसायिक गतिविधियां निम्न प्रतिबंधों के साथ एवं तत्समय लागू नियमों के अनुसार अनुमन्य की जा सकती है।

(क) भूखण्डों में सब डिवीजन/विकय अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) भविष्य में भूतल पर व्यवसायिक गतिविधियां स्वयं के अतिरिक्त दशा में अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी आवश्यक होंगी।

(ग) भविष्य में लिया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क परिवर्तन हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति के तत्समय व्यवसायिक तथा तत्समय के प्रीमियम आवासीय के भूमि मूल्य के अंतर के बराबर होगा व साथ ही भूतल पर व्यवसायिक उपभोग होने की दशा में स्टाम्प शुल्क भी देय अनिवार्य होगा।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र (नग शीट्स)

24/7/15

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

संख्या– 1860 /उपरोक्त/ दिनांक 24/7/15

प्रतिलिपि– 1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–32, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सहारनपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंधक, आवास एवं विकास परिषद, सहारनपुर को सूचनार्थ।

24/7/15

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

24/7/15

Scanned by CamScanner

7001:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

भारतीय मानक ब्यूरो 15700 IS
Bureau of Indian Standards
SQMS

स्वीकृति–पत्र

पत्रांक. 2887 /नि0प्रा0 - 03/15-16 दिनांक: 9/11/15

सेवा में,

श्री मुस्तकीम शफी पुत्र श्री अलीजान
32, ग्रेटर अप्पू इन्कलेव, मोदीपुरम,
मेरठ।

विषय: व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी0पी0–424/12 योजना संख्या–7 शास्त्रीनगर, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपका आवेदन दिनांक 05–11–15, जो कि उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी0पी0–424/12 योजना संख्या–7, शास्त्री नगर मेरठ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में है, के समस्त प्रपत्रों/मानचित्रों का परीक्षणोपरान्त अवगत कराना है कि लघु संशोधनों सहित आपका मानचित्र स्वीकृति योग्य पाया गया है।

अतः उक्त कम में एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन निर्माण की अनुमति निर्गत की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9/11/15 से 8/11/2020 तक) पॉच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड – 8 मेरठ को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
7. यह स्वीकृति 534.68 वर्ग मीटर बेसमेन्ट+भूतल+प्रथम तलों तथा ममटी के निर्माण क्षेत्र के लिये 452.40 वर्ग मीटर भूखण्ड हेतु प्रदान की गयी है।
8. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेंगें जिससे बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम व पता अंकित होना अनिवार्य है।
10. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि व्यवसायिक भवनों में हो रहें कियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. कम से कम 200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप करना होगा।

कमशः—2

Scanned by CamScanner

13. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।
आर्कीटेक्चरल मानचित्र का एक सेट।

9/11/15

वास्तुविद नियोजक एवं विशेष कार्याधिकारी

09.11.15

पृ0सं0: 2887/ उपरोक्त / तददिनांक 09/11/15

प्रतिलिपिः
1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8.उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद शास्त्री नगर मेरठ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/11/15

वास्तुविद नियोजक एवं विशेष कार्याधिकारी

09.11.15

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग
नीलगिरी काम्पलेक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या 750 **/नि0सं0 01/16–17 /** **दिनांक** 24/3/2017

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री अशोक कुमार गर्ग
निदेशक मैसर्स ए0जी0एम0 कालोनाइजर्स एवं डेवलपर्स प्रा0लि0
37 छिपी टैंक, मेरठ।

विषय :– खसरा सं0 222(पाटी), 223(पाटी) व 224 (क्षेत्रफल 13030.00 वर्ग मी0)सराय काजी मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन के सम्बन्ध में प्रश्नगत भूमि हेतु समायोजन सम्बन्धी ले–आउट प्लान यथा अनुमोदित दिनांक 14–3–2017 के अनुक्रम में इकाई के पत्रांक 681 दि0 20.03.2017 के संदर्भ में तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु वॉछित औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त एतदद्वारा निम्नाकिंत शर्तो सहित ले आउट मानचित्र एतदद्वारा स्वीकृत किया जाता है :

1. स्वीकृत तलपट मानचित्र की अवधि नियमतः 05 वर्ष होगी (दि0 24/3/17 से 23/3/2022 दिनांक तक) स्वीकृत मानचित्र की 01 प्रति संलग्न है।
2. कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
3. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कोई भी निर्माण अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रारम्भ करने से पूर्व सूचना सम्बन्धित अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–8,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ के कार्य प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि निर्माण के दौरान सामाग्री संचय के कारण यातायात हेतु निर्धारित मार्ग बाधित नही होगा इसके अतिरिक्त निर्माण अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट आदि का निर्माण) से सम्बन्धित कियाये जैसे मसाला बनाना, सीवर पाईप/वाटर पाईप इत्यादि का कार्य सार्वजनिक सड़क पर नहीं किया जायेगा।
5. शासनादेश के अनुसार 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण करना होगा।
6. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देष मान्य होंगे।
7. भविष्य में यदि आवंटी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व प्रपत्रो,मानचित्र सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि असत्य पाये जाने की दशा में तलपट मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार भविष्य में यदि परिषद की अपनी योजना में इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज के प्राविधान हेतु ले–आउट के किसी भी भाग का उपयोग करने की आवश्यकता होगी तो उसे आवंटी द्वारा बिना किसी व्यय व आपत्ति के उपलब्ध कराया जायेगा।
9. भविष्य में यदि आवंटी द्वारा अपने ले–आउट के इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राविधान हेतु परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का प्रयोग/संयोजन किये जाने से पूर्व परिषद नियमान्नुसार शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।
10. तलपट मानचित्र के सभी भूखण्डों हेतु मानचित्र स्वीकृति में उपविधि 2008 यथा संशोधित 2016 के नियम लागू होगें तथा नियमानुसार सभी शुल्क तत्समय की दरो के अनुसार देय होंगे।

क्रमशः—2

Scanned by CamScanner

11. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।

12. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें जैसे पानी , सीवर, वेस्ट डिसपोजल, बिजली आदि का प्राविधान आवंटी को स्वयं करना होगा ।

13. प्रश्नगत प्रकरण में परिषद द्वारा अन्तिम भूमि दर के निर्धारण के अनुसार आसुधार शुल्क की किश्तों का नियमतः भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा। अन्तिम दर में बढ़ोत्तरी एवं घटौती की स्थिति में अवशेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित पक्ष द्वारा किया जायेगा तथा डिफाल्ट की स्थिति में आवंटी से नियमानुसार दण्ड ब्याज लिया जायेगा।

14. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–8 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार ही विकास कार्य किये जा रहे हैं।

संलग्नकः 1. पार्ट ले–आउट मानचित्र की एक प्रति

मुख्य वास्तुविद नियोजक/विशेषकार्याधिकारी

पृ0सं0: 750/उक्त/ दिनांकः 24/3/2017

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद,शास्त्रीनगर, मेरठ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 उ0प्र0 आवास विकास परिषद,शास्त्रीनगर, मेरठ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ को उनके पत्रांक 1224/सं0प्र0 मेरठ दिनांक 09–3–17 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं बिन्दु सं0–13 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

मुख्य वास्तुविद नियोजक/विशेषकार्याधिकारी

24/3/17

Scanned by CamScanner

11

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या 2166 /नि0प्रा0–2/2016–17/वा0नि0–1–मेरठ

दिनांक 20/7/16

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

मै0 द्वारका स्ट्रक्चर्स प्रा0लि0
द्वारा श्री मनोज गुप्ता पुत्र स्व0 नेम कुमार गुप्ता
निवासी–31/38 शीश महल लाला का बाजार,
मेरठ।

विषय :– **व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–47/5, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–47/5, जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 19–7–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 20/7/16 से 19/7/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. .यह स्वीकृति **भूतल+2+ममटी तलों हेतु 390.35 वर्ग मी0** निर्माण क्षेत्रफल के लिए **303.00 वर्ग मी0** के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
11. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
12. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
13. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

क्रमशः––2

Scanned by CamScanner

14. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
15. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः मानचित्र का एक सेट।

20/7/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– 2166 /उक्त / दिनांकः 20/7/2016.

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

20/7/16

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS

संख्या 1787/नि0प्रा0–3/2016–17/वा0नि0–1–मेरठ 24/6/16 दिनांक

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री राजीव अग्रवाल पुत्र श्री सुन्दर लाल
निवासी–सी–75, वैशाली कालोनी
मेरठ।

विषय :– **व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–43/5, योजना सं0–6, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–43/5, योजना सं0–6, जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20–6–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 24/6/16 से 23/6/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. .यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+2 तलों हेतु 398.52 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 309.60 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। साथ ही पूर्व स्वीकृत मानचित्र कमांक 921/नि0प्रा0–233/2012–13/वा0नि0–1 दिनांक 23–11–12 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।

कमशः—–2

Scanned by CamScanner

16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।

18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।

24/6/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक / विशेषकार्याधिकारी

पृ0सं0:– ~~924~~ 1787 / उक्त / दिनांकः 24/6/16

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को उपरोक्त संलग्नकों सहित।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

24/6/16

वास्तुविद नियोजक / विशेषकार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS

SQMS

संख्या 1964 /नि0प्रा0–4/2016–17/वा0नि0–1–मेरठ दिनांक 12/7/16

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्रीमती अल्का कंसल, श्री काविन्द कुमार, श्री अभिषेक
गली नं0–2 पंचशील कालोनी, मेरठ।

विषय :– **व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–317, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–317, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 21–6–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी, दिनांक 12/7/16 से 11/7/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–06, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. .यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+3 तल+ममटी एवं मशीन रूम हेतु 1684.95 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 614.21 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का नियमतः प्राविधान भी किया जाना होगा।

क्रमशः––2

Scanned by CamScanner

पृ० सं०:– 238 /उक्त / दिनांकः 30-1-17

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–08 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र एवं अग्निशमन सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं सत्यापित मानचित्र की प्रति सहित।
2. सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी ,उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ को उनके प्रोविजनल अनापत्ति पत्र संख्या यू0आई0डी0 20/27221/मेरठ/553/सी0एफ0ओ0 दिनांक 20.01.2017 के संदर्भ में।

30/1/17

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी o/c

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो I S 15700

संख्या 2287 / नि0प्रा0–09 / 2016–17 / वा0नि0–1 दिनांक 1-8-2017

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

मैसर्स रंजना एसोसिएट्स
द्वारा पंकज गुप्ता
निवासी–एच–300, शास्त्री नगर
मेरठ।

विषय :–व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–07 Com–1, सेक्टर–7, जागृति विहार, योजना सं0–6, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–07 Com–1, सेक्टर–7, जागृति विहार, योजना सं0–6, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र के क्रम में निम्नलिखित शर्तो सहित स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 1-8-2017 से 31-7-2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. .यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+2 तलों हेतु 1451.94 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 895.00 वर्ग मी0 भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों / भूखंडों का मार्ग / आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने / हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी / 2001 / (आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751 / 9–आ0–भूकम्परोधी / 2001 / (आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है, जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

क्रमशः––2

Scanned by CamScanner

14. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः 1. आर्कीटैक्चरल मानचित्र का एक सेट(एक नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एवं गणना शीट(एक नग)

1/8/17

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:–2281. /उक्त / दिनांकः 1-8-2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, मेरठ क्षेत्र, श्रमायुक्त कार्यालय बेगमपुल, मेरठ।

1/8/17

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या 822/नि0प्रा0–10/2016–17/वा0नि0–1–मेरठ दिनांक 30/3/17

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री विपिन कुमार अग्रवाल
एच–175, शास्त्री नगर
मेरठ।

विषय :– **व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–53/5, सेक्टर–5 योजना सं0–6, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–53/5, सेक्टर–5 योजना सं0–6 जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27–3–2017 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 30/3/17 से 29/3/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. .यह स्वीकृति **बेसमेन्ट+भूतल+2 तलों एवं ममटी हेतु 420.71 वर्ग मी0** निर्माण क्षेत्रफल के लिए **328.24 वर्ग मी0** के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
11. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना अनिवार्य होगा।
12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
14. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

क्रमशः––2

Scanned by CamScanner

15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले टीनशेड हटाना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः मानचित्र का एक सेट।

30/3/17

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– 822 /उक्त / दिनांकः 30/3/17

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

17/3/17

वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी कॉम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या 1725 /नि0प्रा0–01/2017–18/वा0नि0–1–मेरठ

दिनांक 21/6/17

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्रीमती शाहना जकी पत्नी श्री जमीउर्रहमान
मकान नं0–50, भवानी नगर नौचन्दी
मेरठ।

विषय :– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सी0पी0–413/12, शास्त्री नगर, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सी0पी0–413/12, शास्त्री नगर, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14–06–2017 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 21/6/17 से 20/6/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–08, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति **B+G+1 तलों तथा ममटी हेतु 369.05 वर्ग मी0** निर्माण क्षेत्रफल के लिए **360.00 वर्ग मी0** के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।

क्रमश––2

Scanned by CamScanner

12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
14. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः मानचित्र का एक सेट।

21/6/17

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– 1725 /उक्त / दिनांकः 21/6/17

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को मानचित्र की एक प्रति सहित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
3. उप श्रमायुक्त, कार्यालय उ0प्र0, मेरठ क्षेत्र बेगमपुर, मेरठ।

21/6/17

वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
आफिस काम्पलैक्स, सेक्टर–9,
शास्त्री नगर, मेरठ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS
Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक– 50 / /

दिनांकः 26/10/ 2017

सेवा में,

कम्प्यूटर सेल इंचार्ज,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

104, महात्मा गांधी मार्ग, मुख्यालय।

विषयः– **परिषद वेबसाईट पर बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान–2017 सम्बन्धी विवरण अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) के पत्रांक–4530/कम्प्यूटर सेल/दिनांक–10.10.2017 के अनुक्रम में वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम, मेरठ के सन्दर्भ में विगत अप्रैल 2015 से तद्दिनांक तक आर्किटेक्ट एण्ड प्लानिंग नोटिसेज़ सम्बन्धी विवरण मैसेज़ बोर्ड के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलनग्कः– उपरोक्तानुसार 34 नग ।

भवदीय

26/10/17

(श्याम ज़तन यादव)
वास्तुविद् नियोजक

पृ0सं0– 50 **/उक्त/** **दिनांक–** 26 / 10 / 2017

प्रतिलिपिः– नोडल अधिकारी–मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

26/10/17

वास्तुविद् नियोजक

Scanned by CamScanner

11

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

सेवोत्तम प्रमाणित

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

संख्या 2183 /नि0प्रा0–05/15–16/वा0नि0–1–मेरठ   दिनांक 21/7/2016

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय
द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा
68, कम्बल वाला बाग
नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।

विषय :– व्यवसायिक भूखण्ड सं0 – सी0पी0–01, शकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर हेतु स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड सं0–सी0पी0–01, शकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर पर कार्यालय/स्टाफ हाउस के निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 18–7–2016 पर विचारोपरान्त मुख्य वास्तुविद नियोजक द्वारा दिनांक 19–7–2016 को प्राप्त अनुमोदन के कम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष होगी। दिनांक 21/7/16 से 20/7/2021 तक
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयवृद्धि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
6. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल **3787.89 वर्गमी0** (जिसमें नान–एफ0ए0आर0 क्षेत्र भी सम्मिलित है) के लिये **3593.32 व0मी0** भूखण्ड पर प्रदान की गयी है, स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति **G/Stilt+3** हेतु प्रदान की गयी है।
8. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेगें जिससे बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. विजिटर्स पार्किंग का प्राविधान भूखण्ड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखण्ड परिसर के अन्दर ही करना होगा।
10. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा जिससे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम पता अंकित होना अनिवार्य है।
11. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
12. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि ग्रुप हाउसिंग भवनों में हो रहे कियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को राकेने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड पर 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
14. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
15. समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
16. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है, जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।

कमशः—2

Scanned by CamScanner

17. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ ने अपने पत्र संख्या–एफ0एस0–भ–2/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–16(मुजफ0)/512 दिनाँक 03–7–2016 के द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उपनिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज, मेरठ से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

18. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

19. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।

सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट–(11 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन का एक सेट –(25 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सेट (251 से 102 नग पृष्ठ)
4. उप निदेशक, फायर सर्विसेज मेरठ से अनुमोदित मानचित्र/ एन0ओ0सी0 की प्रति। –(18 नग शीट्स)

21/7/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांकः 21/7/2016

पृ0सं0:– 2183 /उक्त /

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को उपरोक्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रारूप–ब के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, एम0आई0जी0–108, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर ।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ को प्रपत्र 'च' तथा अग्निशमन सम्बन्धी मानचित्रों के एक सेट सहित।
5. उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरनगर।

21/7/16

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

O/C.

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो I S 15700

संख्या 2184 /नि0प्रा0–06/2015–16/वा0नि0–1–मेरठ   दिनांक 21-07-2016

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

AIM INFRA-HOMES LLP
द्वारा श्री इकबाल अहमद पुत्र स्व0 जुल्लन
पेट्रोल पम्प के सामने, जाकिर कालोनी,
मेरठ।

विषय :– खसरा संख्या–3947 से 3951, कस्बा मेरठ सेक्टर–12, यो0सं0–7 शास्त्री नगर, मेरठ हेतु ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

खसरा संख्या–3947 से 3951, सेक्टर–12 योजना सं0–7, शास्त्री नगर, मेरठ जिनका समायोजन सम्बन्धी ले–आउट आवास आयुक्त (म0) द्वारा दिनांक 23–9–2015 को अनुमोदित है, पर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 15–7–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष होगी। दिनांक 21-07-2016 से 20-07-2021 तक
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयवृद्धि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी मेरठ से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
6. रजिस्ट्री के समय मानचित्र में प्रस्तावित किसी भी फ्लैट का सब–डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा तथा वर्तमान मानचित्र में कुल **24 डुप्लेक्स** फ्लैट का निर्माण अनुमन्य किया जा रहा है।
7. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल **11753.85 वर्गमी0, आवासीय :7911.43 वर्ग मी0+व्यवसायिक: 11763.95** (जिसमें नान–एफ0ए0आर0 क्षेत्र भी सम्मिलित है) के लिये **17753.85+4246.15=22000 व0मी0** भूखण्ड पर प्रदान की गयी है, स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. यह स्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 27–4–2016 एवं 28–6–16 के आलोक में **बेसमेन्ट+भूतल (बी+जी+3)** हेतु प्रदान की गयी है।
9. भूखण्ड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेगें जिससे बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो इसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
10. विजिटर्स पार्किंग का प्राविधान भूखण्ड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखण्ड परिसर के अन्दर ही करना होगा।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा जिससे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम पता अंकित होना अनिवार्य है।
12. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
13. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि ग्रुप हाउसिंग भवनों में हो रहे कियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप को राकेने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित भूखण्ड पर 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. समय–समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

कमशः—2

Scanned by CamScanner

17. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है, जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
18. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या–19जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–16(मेरठ)/183 दिनांक 03–7–2016 द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उपनिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज, मेरठ से पुनः अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
19. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
20. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
21. आवास आयुक्त (म0) के निर्णय दिनांक 18–07–2016 के कम में जल व्यय शुल्क रू0 18,49,485/–(अट्ठारह लाख उन्चास हजार चार सौ पच्चासी मात्र) एवं सुदृढ़ीकरण शुल्क रू0 48,36,824/– (अड़तालिस लाख छत्तीस हजार आठ सौ चौबीस मात्र) परिषद खाते में यथा रूप से स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से ब्याजमुक्त की एक वर्ष की समयावधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाना होगा।
22. आवास आयुक्त (म0) के निर्णय दिनांक 19–7–2016 के कम में संगत शासनादेश के अनुसार वॉछित दुर्बल आय वर्ग/ अल्प आय वर्ग भवनों हेतु मानचित्र निर्गत की तिथि से अधिकतम 06 माह के भीतर नियमानुसार स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप द्वारा नियमानुसार शेल्टर शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट–(09 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन का एक सेट –(11 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सेट 01 [illegible] 01 नग पृष्ठ)
4. उप निदेशक, फायर सर्विसेज मेरठ से अनुमोदित मानचित्र/ एन0ओ0सी0 की प्रति। –(08 नग शीट्स)

(हस्ताक्षर) 21/7/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांकः 21-7-2016

पृ0सं0:– 2184 /उक्त /
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को उपरोक्त संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रारूप–ब के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी द्वारा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर, मेरठ।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ को प्रपत्र 'च' तथा अग्निशमन सम्बन्धी मानचित्रों के एक सेट सहित।
5. उप श्रमायुक्त, मेरठ।

(हस्ताक्षर) 21/7/16

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
21.7.16

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS

संख्या 1786 / नि0प्रा0–7 / 2015–16 / वा0नि0–1–मेरठ दिनांक 24/6/16

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जय प्रकाश
निवासी–117, कुटी एफ–131 के सामने, शास्त्री नगर
मेरठ।

विषय :– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–471/1, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–471/1, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20–6–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 24/6/16 से 23/6/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–06, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. .यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+3 तलों हेतु 1652.68 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 615.31 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। साथ ही पूर्व स्वीकृत मानचित्र कमांक 70/नि0प्रा0–421/2010–11/वा0नि0–1 दिनांक 10–02–12 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।

क्रमशः––2

Scanned by CamScanner

16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।

18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 6

संलग्नकः आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।

24/6/16

(श्याम जतन यादव)
24/6/16 OK **वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी**

पृ0सं0:– 1786 /उक्त / दिनांकः 24/6/16.

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

24/6/16

24/6/16 OK **वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी**

Scanned by CamScanner

16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।

12/7/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– 1964 /उक्त / दिनांकः 12/7/16

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

12/7/16

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS

संख्या 1965/नि0प्रा0–5/2016–17/वा0नि0–1–मेरठ दिनांक 12/7/16

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री अतर सिंह पुत्र श्री फूल सिंह
बी–101, शास्त्री नगर, मेरठ।

विषय :–व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–447, मंगल पाण्डेय नगर, योजना सं0–1, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–447 मंगल पाण्डेय नगर, योजना सं0–1, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22–6–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी, दिनांक 12/7/16 से 11/7/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–06, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. .यह स्वीकृति भूतल+3 तलों हेतु 630.63 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 202.19 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का नियमतः प्राविधान भी किया जाना होगा।

क्रमशः––2

Scanned by CamScanner

15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।

16. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।

(हस्ताक्षर) 12/7/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– 1965 /उक्त / दिनांक: 12/7/16

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ, को स्वीकृत मानचित्र की प्रति सहित ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

(हस्ताक्षर) 12/7/16

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या 2108/नि0प्रा0–6/2016–17/वा0नि0–1–मेरठ दिनांक 19-7-16

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री हृदेश चौधरी पुत्र श्री रविनन्दन सिंह
निवासी–143/4 जागृति विहार
मेरठ।

विषय :– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–49/5, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–49/5, जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11–7–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 19-7-16 से 18-7-2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति **बेसमेन्ट+भूतल+2 तलों हेतु 311.28 वर्ग मी0** निर्माण क्षेत्रफल के लिए **238.44 वर्ग मी0** के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।

क्रमशः––2

Scanned by CamScanner

14. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।

19/7/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– 2108 /उक्त / दिनांकः 19-7-16.

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

9ए

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो I S 15700

SQMS

संख्या 4213/निoप्राo–7/2016–17/वाoनिo–1–मेरठ दिनांक 8/11/16.

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्रीमती दीपिका एवं श्रीमती अंजना
द्वारा मुख्तार–ए–आम श्री प्रेम कुमार त्यागी
के–9, शास्त्री नगर, मेरठ।

विषय :– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सी0पी0–121/6, जागृति विहार, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–सी0पी0–121/6, जागृति विहार, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03–11–2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 8/11/16 से 7/11/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–05, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति **भूतल+2+ममटी तलों हेतु 442.79 वर्ग मी0** निर्माण क्षेत्रफल के लिए **349.80 वर्ग मी0** के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
14. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

क्रमशः——2

Scanned by CamScanner

15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नकः मानचित्र का एक सेट।

8/11/16

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– 4213 /उक्त /

दिनांकः 8/11/16

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधीक्षण अभियन्ता–द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
5. श्रीमती दीपिका पत्नी श्री मोहित कुमार, 443/2 शास्त्री नगर, मेरठ।
6. श्रीमती अंजना पत्नी स्व0 श्री हिमांशु 468/2 शास्त्री नगर, मेरठ।

8/11/16

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

Scanned by CamScanner

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–तृतीय
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

पत्रांक: 238 नि0 प्रा0–08/16–17 /वा0 नि0–1/ दिनांक 30/1/ 2017

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री अवनीश गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गोयल
3 ई–215, माधवपुरम, मेरठ।

विषयः– व्यसायिक भूखण्ड संख्या 2 सी0पी0–101, माधव पुरम योजना, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यसायिक भूखण्ड संख्या 2 सी0पी0–101 माधव पुरम, मेरठ पर पेट्रोल पम्प के निर्माण सम्बन्धी आवेदन के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 115/नि0प्रा0–08/16–17 दिनांक 16.01.2017 द्वारा सूचित करायी गयी औपचारिकताओं की आप द्वारा पूर्ति के क्रम में नि0प्रा0 रजिस्टर सं0 08/16–17 के अन्तर्गत निम्न शर्तो के अधीन एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 30-1-17 से 29-1-2022 तक
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–08 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
4. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावृधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. भूखण्ड में पार्किंग स्वीकृति मानचित्र के अनुसार निश्चित स्थल पर अनुमन्य होगी, जिससे कि बगल के भवनों /भूखण्डों का मार्ग/ आवागमन अवरूद्ध न हो, यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
6. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे कियाकलापों से अगल–बगल के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हों रही है तब उस कियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
7. यह स्वीकृति 442.40 वर्गमी0 क्षेत्र के भूखण्ड पर भूतल हेतु कुल प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र 169.02 वर्गमी0 के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8. निर्माण स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित ही मान्य होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके। तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि , वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर के नाम अंकित होंगे।
10. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. शासनादेश के अनरूप वृक्षारोपण तथा उसके रखरखाव का प्राविधान करना होगा।
12. समय –समय पर शासन/परिषद द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होंगे ।
13. सम्बन्धित पेट्रोलियम विभाग/अग्निशमन एवं अन्य विभागो के सुरक्षा सम्बन्धी सभी दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

सलंग्नक:

1.आर्कीटैक्चुरल मानचित्र (01 नग)
2.अग्नि शमन अनापत्ति सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एवं सत्यापित मानचित्र

30/1/17

(श्याम जतन यादव)
वास्तुविद नियोजक/ विशेष कार्याधिकारी

कृ0प0उ0

O/C

Scanned by CamScanner